International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 08 | Aug - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

"वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा की भूमिका और आवश्यकता"

मधुबाला श्रीवास्तव (शोधार्थी)
madhubalasrivastava@rediffmail.com
मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय, जोधपुर

डॉ. समीना (शोध - पर्यवेक्षक)
विभागाध्यक्ष, शिक्षा - संकाय
मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय, जोधपुर

सारांश

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो उसे जीवनभर एक सम्मानजनक एवं समानता-आधारित जीवन सुनिश्चित करता है । मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना विकसित करने में मानवाधिकार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे नवाचारों के बावजूद यह विडंबना है कि विश्व में युद्ध और संघर्ष चरम पर हैं । वर्तमान समय में व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकार केवल एक शैक्षिक विषय नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं सह-अस्तित्व जैसे मौलिक मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम है ।

तेजी से परिवर्तित होते वैश्विक परिदृश्य में सामाजिक-आर्थिक असमानता, जातीय एवं सांस्कृतिक विविधता के बीच मानवाधिकार शिक्षा एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य कर सकती है । यह शिक्षा 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को पोषित करते हुए न्याय एवं सह-अस्तित्व पर आधारित विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है ।

प्रस्तुत शोध-पत्र में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों—जैसे परस्पर विश्वास का ह्रास ,अस्थिरता, असहिष्णुता, हिंसा एवं नवीन डिजिटल युग में मानवाधिकार के क्षेत्र में चनौतियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के प्रति जनमानस में जागरूकता की अपरिहार्यता का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि मानवाधिकार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जो उचित अध्ययन, प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से मानवाधिकारों के सम्मान की भावना को सुदृढ़ करती है । इसके माध्यम से मानव के नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है और मानवाधिकारों के आदर्श मानदंडों को स्थापित करते हुए समाज को एक सशक्त एवं सकारात्मक आभा मण्डल से ओत – प्रोत कर सकते हैं ।

तकनीकी शब्दावली : मानवाधिकार , जागरूकता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य,

---

मानवाधिकार की अवधारणा

परमात्मा ने मानव को विभिन्न गुणों और विशेषताओं से संपन्न बनाया है । मानवाधिकार उन न्यूनतम आवश्यक परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्निहित गुणों का सर्वोत्तम विकास करने और अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं ।

ये न्यूनतम परिस्थितियाँ समानता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जो किसी भी भौगोलिक सीमा, धर्म, जाति या लिंग भेदभाव से परे केवल "मानव मात्र" होने के आधार पर सभी को समान रूप से प्राप्त होती हैं। ऐसे सहज और सार्वभौमिक अधिकार व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन का आधार प्रदान करते हैं । मानवाधिकार की अवधारणा अधिकार और कर्तव्य दोनों के सामंजस्य पूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है, जहाँ एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना इसका मूल तत्व है । यही अधिकार समय के साथ वैश्विक समाज में प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करते हुए "आदर्श मानव समाज" की स्थापना की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं । इतिहास के प्रवाह में मानव के मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में नए अधिकार जुड़े, परंतु सभी का उद्देश्य मानव जीवन की गरिमा को सुदृढ़ बनाना रहा है ।

तकनीकी शब्दों की परिभाषा

(1)मानवाधिकार-शिक्षा:

ऐसी शिक्षा प्रणाली जो नागरिकों को उनके गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाती है । यह शिक्षा समाज एवं विश्व में दया, प्रेम, सम्मान, सहभागिता और "जियो और जीने दो" जैसे आदर्श सिद्धांतों को प्रोत्साहित करती है ।

(2) जागरूकता:

जागरूकता उस ज्ञान और समझ को इंगित करती है जो किसी व्यक्ति को भौतिक या अभौतिक वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति चेतन को सृजित करती है है । यह चेतना व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत हो सकती है।

(3) अभिवृत्ति:

अभिवृत्ति मानव व्यक्तित्व की वह प्रवृत्ति है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष परिस्थिति के प्रति विशेष व्यवहार प्रदर्शित करने हेतु प्रेरित करती है। यह व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण और मनोभाव को प्रकट करती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती है।

(4) वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

यह उस भौगोलिक और सामाजिक सीमा को दर्शाता है, जिसके संदर्भ में किसी अध्ययन या शोध का विश्लेषण किया जाता है। मानवाधिकार की मूल अवधारणा किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित न होकर सार्वभौमिक है। अतः मानवाधिकार-शिक्षा की प्रासंगिकता का मूल्यांकन संपूर्ण विश्व की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया है।

शोध का महत्त्व

मानव की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व आविष्कार हो रहे हैं। आज जब मानव, सूर्य और चंद्रमा पर जीवन की संभावना तलाशने में व्यस्त है, वह धरती पर शांति और गरिमापूर्ण जीवन जीने के मूल्यों से दूर होता जा रहा है। विज्ञान और तकनीक आधारित शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण मानविकी विषयों की उपेक्षा देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप दया, करुणा, प्रेम, सहयोग और परस्पर स्वीकार्यता पर आधारित सह-अस्तित्व की भावना क्षीण होती जा रही है। संवेदनशीलता के अभाव में मानव का व्यवहार पशुवत आचरण की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा है ।

वर्तमान समय में विभिन्न वर्गों और राष्ट्रों के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। ऐसे परिदृश्य में प्रभावी मानवाधिकार शिक्षा समाज के सभी वर्गों में आपसी सम्मान और स्वीकृति की भावना विकसित करने में सहायक हो सकता है। इस दिशा में शैक्षिक संस्थान, गैर-सरकारी संगठन तथा विभिन्न सरकारी अभिकरण महत्वपूर्ण योगदान देकर इस प्रयास को व्यापक और सशक्त बना सकते हैं। इन कारणों से प्रस्तुत शोध का शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है।

सम्बंधित - साहित्य की समीक्षा

मानवाधिकार की अवधारणा मात्र आधुनिक सदी की दें नही है अपितु का उल्लेख प्राचीन काल से ही धर्म और साहित्य में किसी न किसी रूप में होता रहा है। तथापि, मानवाधिकार का पहला औपचारिक दस्तावेज ब्रिटेन के **"मैग्ना कार्टा" (Magna Carta) को** माना जाता है, जिसे 1215 में घोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त, दी इंग्लिश बिल ऑफ़ राइट्स [1689], दी फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन दी राइट्स ऑफ़ मेन एंड सिटीजन्स [1789] एवं दी यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स [1791] महत्वपूर्ण दस्तावेज है |

21वीं सदी में मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस अवधि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घोषणाओं एवं संधियों के माध्यम से मानवाधिकारों की परिभाषा और स्वरूप को व्यापक रूप दिया गया। साथ ही,

मानवाधिकारों की अवधारणा को सैद्धांतिक स्तर से आगे बढ़ाकर संस्थागत प्रयासों और वैधानिक कानूनों के माध्यम से इसे क्रियात्मक रूप में लागू करने के ठोस प्रयास किए गए।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर हुए व्यापक हिंसा एवं मानवाधिकार हनन की घटनाओं के पश्चात सर्वप्रथम "शान्ति स्थापना लीग" का गठन करने के साथ साथ 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया | अन्तराष्ट्रीय विवादों को हल करने एवं शान्ति स्थापना के लिए बनी इस संस्थान के विद्यमान रहने के बावजूद भी 1939 से 1945 तक रक्तरंजित द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया |

द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से सबक लेते हुए विश्व समुदाय ने आपसी विश्वास और शांति की स्थापना के उद्देश्य से 1945 में **संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)** की स्थापना की। इसके बाद 10 दिसंबर 1948 को **संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights)** के माध्यम से 30 अनुच्छेदों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति सभी सदस्य देशों की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र मे मानवाधिकारों के 30 अनुच्छेद

1. **समानता का अधिकार** – सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार रखते हैं।
2. **भेदभाव से मुक्ति** – नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार।
3. **जीवन, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार** – हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार।
4. **गुलामी से मुक्ति** – दासता और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन।
5. **यातना एवं अमानवीय व्यवहार से मुक्ति** – किसी भी प्रकार की यातना या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा।
6. **कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार** – सभी व्यक्तियों को कानून के तहत समान पहचान।
7. **कानून के समक्ष समानता का अधिकार** – सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समान संरक्षण की गारंटी।
8. **सक्षम न्यायालय द्वारा उपचार का अधिकार** – किसी भी अन्याय के लिए निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार।
9. **मनमानी गिरफ्तारी एवं निर्वासन से मुक्ति** – बिना कारण गिरफ्तारी या निर्वासन से सुरक्षा।
10. **निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार** – न्यायालय में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई का अधिकार।
11. **दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार** – अपराध सिद्ध होने से पहले निर्दोष माना जाना।
12. **गोपनीयता एवं हस्तक्षेप से मुक्ति का अधिकार** – निजी जीवन, परिवार और संपत्ति में हस्तक्षेप से सुरक्षा।
13. **स्वतंत्र आवागमन का अधिकार** – किसी भी देश में आने-जाने की स्वतंत्रता।
14. **उत्पीड़न से बचने हेतु शरण का अधिकार** – उत्पीड़न से बचने के लिए किसी अन्य देश में शरण लेने का अधिकार।
15. **राष्ट्रीयता एवं इसे बदलने का अधिकार** – हर व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने या बदलने की स्वतंत्रता।
16. **विवाह एवं परिवार का अधिकार** – स्वतंत्र रूप से विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार।
17. **संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार** – व्यक्तिगत या सामूहिक संपत्ति रखने का अधिकार।
18. **आस्था एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार** – किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता।
19. **सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार** – विचारों एवं सूचनाओं को प्राप्त और प्रसारित करने की स्वतंत्रता।

20. **शांतिपूर्ण सभा एवं संगठन का अधिकार** – शांतिपूर्ण रूप से सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
21. **सरकार एवं स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार** – शासन में भागीदारी और स्वतंत्र चुनाव में मतदान का अधिकार।
22. **सामाजिक सुरक्षा का अधिकार** – समाज में सुरक्षा और कल्याण का अधिकार।
23. **वांछनीय कार्य एवं ट्रेड यूनियन में भाग लेने का अधिकार** – कार्य का चुनाव और ट्रेड यूनियन में भागीदारी।
24. **आराम एवं अवकाश का अधिकार** – काम के साथ आराम और अवकाश का अधिकार।
25. **पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार** – स्वास्थ्य, आवास और भोजन सहित उचित जीवन स्तर।
26. **शिक्षा का अधिकार** – सभी के लिए शिक्षा की गारंटी।
27. **सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार** – सांस्कृतिक गतिविधियों में स्वतंत्र भागीदारी।
28. **सामाजिक व्यवस्था का अधिकार** – ऐसे सामाजिक ढांचे में रहने का अधिकार जो मानवाधिकारों की सुरक्षा करता हो।
29. **स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक कर्तव्य** – व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सामुदायिक कर्तव्यों का निर्वहन।
30. **अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता** – उपर्युक्त अधिकारों में किसी भी अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार–दस्तावेज़ (International Bill on Human Rights) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएँ और संधियाँ सम्मिलित हैं—

1. **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948**
2. **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR), 1966**
3. **आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR), 1966**

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य

आज का वैश्विक परिदृश्य अशांति और संघर्ष से भरा हुआ है। कई देशों के बीच लंबे समय से विनाशकारी युद्ध जारी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर देशों को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। धार्मिक असहिष्णुता के कारण विभिन्न देशों में हिंसा और अविश्वास का वातावरण गहराता जा रहा है, जिससे मानवाधिकारों का हनन बढ़ता ही जा रहा है।

सशक्त राष्ट्र अपनी संसाधन संपन्नता और शक्ति के बल पर छोटे देशों में अस्थिरता उत्पन्न कर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई देशों के आर्थिक संसाधन मानव विकास के बजाय विनाशकारी हथियारों के निर्माण और आयात में खर्च हो रहे हैं।

समाज में एक बड़ा जनसमूह भूख, कुपोषण और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को विवश है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी एक बड़े वर्ग की पहुँच से कोसों दूर है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी विभिन्न संस्थाओं से अपेक्षा की जाती रही है कि वे मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण में प्रभावी भूमिका निभाएँ। तथापि, वर्तमान परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि कि यह संस्थाएं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी हैं ।

मानवाधिकार शिक्षा

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के अध्ययन और प्रशिक्षण हेतु सभी देशों में सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग इस दिशा में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही, अनेक गैर-सरकारी संगठन भी मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का पक्षधर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयास किए हैं।

भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए सरकार ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। इसके अतिरिक्त, संविधान में **राज्य के नीति-निदेशक तत्वों** का भी उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्रत्येक लोक-कल्याणकारी राज्य अपनी नीतियों और कानूनों का निर्माण करता है। स्पष्टः ,देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रवर्तनीय अधिकार तथा नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अप्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हैं। ये दोनों मिलकर प्रत्येक नागरिक को समानता पर आधारित गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करते हैं।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** के अंतर्गत पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। विद्यालय स्तर पर छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न ऑफ़ -लाइन एवं ऑन -लाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ का आयोजन और शोध परियोजनाएँ प्रोत्साहित की जाती हैं, जो मानवाधिकार -शिक्षा को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

मानवाधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध भारत सरकार ने **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** पारित किया। इसके अंतर्गत **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। ये सभी संवैधानिक- संस्थाएँ, शैक्षणिक -संस्थान और शोध -केंद्र मानवाधिकारों के संरक्षण तथा उनके प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली एक **दीर्घकालिक रणनीति** के तहत ही इन्हें प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है।

वर्तमान डिजिटल युग में मानवाधिकारों का हनन नित्य नए स्वरुप में हो रहा है । प्रारंभिक शिक्षा से वंचित समाज के लोगों के साथ साथ शिक्षित वर्ग के नागरिकों के मानवाधिकार भी सुरक्षित नहीं है। उनकी निजता के उल्लंघन , गरिमापूर्ण जीवन एवं आर्थिक अधिकारों पर प्रहार हो रहे है । इस आभासी दुनिया में बच्चो एवं महिलाओं के मानवाधिकार भी अत्यंत असुरक्षित हैं । ऐसे विकट काल खंड में मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता ही एक सशक्त उपाय है जो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न माध्यम से सुदृढ़ की जा सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान संघर्षपूर्ण वैश्विक धरातल पर **मानवाधिकार शिक्षा** अत्यंत प्रासंगिक एवं अपरिहार्य है। यह शिक्षा सामाजिक न्याय, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थापना के लिए व्यवहारिक स्तर पर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दे सकती है ।

शैक्षिक प्रणाली में इसके समावेश और समाज में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और मानवीय मूल्यों पर आधारित विश्व की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में समानता पर आधारित गरिमापूर्ण जीवन के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। यह शिक्षा लोगों को संवेदनशील बनाकर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के प्रति "शून्य –सहनशीलता " की भावना को भी विकसित कर सकती है ।

प्रभावी मानवाधिकार शिक्षा की छाँव में उच्च मानवीय मूल्य पुष्पित एवं पल्ल्वित होंगे जो वैक्तिक उत्थान एवं सामाजिक समरसता के पथ पर बढ़ते हुए वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) नई शिक्षा नीति (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(2) नई शिक्षा नीति (2009), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(3) लाल रमण बिहारी (2003), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ

(4) सिन्हा, सच्छिदानंद (2005), भूमंडलीकरण की चुनौतियां, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

(5) त्यागी , गुरुशरण दास (2003), भारतीय शिक्षा का परिदृश्य, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा

(6) गुप्ता, एम. एल. एवं शर्मा डी. डी. (2001), सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

(7) https://www.nhrc.nic.in

(8) https://www.ohchr.org